बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १७ फरवरी, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

ARMED DACOITY IN NAWADAH.

A5. Shri **SADANAND PRASAD**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in a local Daily, dated the 7th February 1954, under the caption "Armed Dacoity in Nawadah village, one shot dead, 3 hurt, loss of rupees one lakh";

(*b*) whether it is a fact that the news under reference relates to village Bansodih Bazar, police-station Satgauwan, subdivision Giridih in the district of Hazaribagh;

(*c*) whether it is a fact that the serious nature of the dacoity is the first of its kind in the district inasmuch as the robbers used police uniforms, used guns and revolvers, set fire to the godown by using petrol, killed and injured the inmates and looted and destroyed properties worth over a lac of rupees and all these occurred at the early hours of the night at 8 P. M.;

(*d*) whether it is a fact that the police-station is situated at a distance of one mile from the place of occurrence, and the dacoity was committed at ease which took about an hour (though fire arms were used resulting in casualties, petrol used and the entire godown of cloth, sugar and other articles burned to ashes) and no help could be reached either for protection against, or apprehending the attackers, who still remain untraced;

(*e*) if the answers of the above clauses be in the affirmative, what steps do Government propose to take in this regard?

Shri **KRISHNA BALLABH SAHAY**: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) This refers to the dacoity which was committed in the shop of Mohan Ram who was shot dead in the course of dacoity at about 9 P. M. on 4th February, 1954 in Basaudih Bazar, P.-S. Satgawan.

(*c*) It is a fact that the dacoits used arms and set fire to the cloth shop by using kerosene oil and properties worth about Rs. 50,000 were either looted or destroyed. It is also a fact that Mohan

---

A—In absence of the Member, answer was given on the request of Shri Jagannath Singh.

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative Business : Official Bill :

बिहार डिस्पोजल ऑफ डेड परसन्स अनक्लेम्ड् बडीज बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं० ३)।

THE BIHAR DISPOSAL OF DEAD PERSONS' UNCLAIMED BODIES BILL, 1954 (BILL NO. 3 OF 1954)(*contd.*).

अध्यक्ष—कल विधेयक पर श्री कुलदीप नारायण बोल रहे थे और उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था अतः वे अपना भाषण शुरू करें।

श्री कुलदीप नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर बहस हो रही है। हमारे बहुत से भाइयों ने इस बिल का विरोध किया और बहुत से समर्थन भी। मैं उन भाइयों से पूछता हूं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है कि मामूली सी बात जो लाश मांगने की है उसके लिए वे कहते हैं कि हम लोगों का धर्म चला जायगा, परन्तु जब आजादी को बचाने के लिए जान देने की बारी आयगी तो वे कैसे गोली का सामना करेंगे, कैसे वे अपने को सैकरीफाइस करेंगे।

अध्यक्ष—यह प्रश्न कैसे उठता है, लाश तो आजादी के लिए मांगी नहीं जा रही है, अतः आपका कहना बिल्कुल असंगत है।

श्री कुलदीप नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं इस उदाहरण को केवल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं जिससे हमारे विरोधी भाइयों को अच्छी तरह समझ में आ जाय। कहने का मतलब यह है कि मृत मनुष्यों को मामूली सी लाश जब नहीं दे सकते हैं तो समय आने पर अपने को सैकरीफाइस कैसे कर सकते हैं। अब मैं इस बिल को पास होने से जो लाभ होगा उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। ये जो लाश मांगी जा रही है उससे मेडिकल स्कूल के विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। वे इस लाश को चीर-फाड़ करके प्रैक्टिकल नोलेज बढ़ावेंगे, वे मनुष्यों के भीतरी तन्तुओं को उस लाश द्वारा जान सकेंगे, टी० बी० या कोई सीरियस बीमारी से मरे हुए आदमियों की लाश को चीर-फाड़ कर और देखकर डाक्टर या मेडिकल के स्टूडेंट्स उनकी भीतरी चीज की गड़बड़ी को अच्छी तरह जान सकेंगे और भविष्य में दूसरी बीमारियों को बचाने में मदद लेंगे। दो प्रकार के आपरेशन होते हैं। ऐनेटोमिकल और पैथोलौजिकल।

अध्यक्ष महोदय, और देशों के बनिस्वत मेरा देश विज्ञान में इतना पीछे क्यों है, हमारे यहां के डाक्टर और जगहों से योग्यता में कम क्यों हैं? इसीलिए हैं चूंकि उन बेचारे डाक्टरों तथा मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को लाश के अभाव से भीतरी चीज को बताया नहीं जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से रोगी डाक्टरों की अनभिज्ञता के कारण मर जाते हैं। इसलिए मैं उन भाइयों से अपील करूंगा जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है कि इस बिल को अवश्य पास होने में मदद दें। हां इसे काट छांटकर छोटा बड़ा भले बना दें जिससे हमारी जनता रुष्ट न हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, कुछ भाइयों ने नियर रिलेशनशीप के डिफिनिशन को जो डिफेक्टिव बतलाया है वह सही है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नियर रिलेशनशिप के दायरे में केवल लड़का,-लड़की बेटा-बेटी को न रखकर मित्र वगैरह को भी रख दें जिससे मैं समझता हूं कि जनता में किसी तरह के असंतोष होने की संभावना नहीं रहेगी। कुछ भाइयों ने कहा है कि सरकार इस बिल को पास करके पुलिस को एक बहुत बड़ा हथकंडा दे रही है। परन्तु मेरी समझ से ऐसी बात नहीं है। कुछ भाइयों ने यह भी कहा है कि इस बिल को इस सदन में लाने के पूर्व सरकार को लीगल एक्सपर्ट से राय ले लेनी चाहिए थी तो मैं पूछता हूं हमारे यहां एक्सपर्ट है कहां ? एक्सपर्ट भी तो बाहर हो से लाना पड़ेगा। अतः मैं ऐसे भाइयों से अपील करूंगा कि अपने ही देश में हर चीजों, विषयों में सुभीता देकर एक्सपर्ट बनावें। इसी तरह इंजीनियरिंग विभाग में देख लीजिए। वहां भी अच्छे इंजीनियर का अभाव है। इसका तो यही कारण है कि हमारी सरकार को जिस चीज की आवश्यकता है उसे आप नहीं देते हैं वह न दें और सभी चीजों, विषयों में हम और देशों की अपेक्षा पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं विरोधी भाइयों से अपील करता हूं कि इस बिल को काट छांटकर वे अवश्य पास होने दें।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—यह बिल जो अभी सदन के सामने पेश है यद्यपि देखने में छोटा है लेकिन हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर इस स्टेट के लिए तो बहुत जरूरी है जहां धर्म पर लोग बहुत विश्वास करते हैं चाहे हिंदू हों या मुसलमान। हमारे कुछ भाई सायंस को आगे बढ़ाने के लिए भाषण दे गये और यहां तक कहा कि हम इस काम के लिए वे अपनी जान तक दे देंगे यही अच्छी बात होगी। लेकिन हम समझते हैं हजार में दो चार शायद ऐसे होंगे कि अपनी जान दे देंगे सायंस को आगे बढ़ाने के लिए परन्तु साधारणतः लोग ऐसा करना नहीं पसंद करेंगे।

अध्यक्ष—अब तो ऐसी हालत हो रही है कि लाउड स्पीकर से बोलने पर भी नहीं सुनाई देता है। माननीय सदस्य इस ओर ध्यान दें कि असेंबली का काम किस तरह चलेगा। जब ऐसा हल्ला होता रहेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—मैं कह रहा था कि हमारे सदन के सामने यह नई चीज है। मान लीजिए जेल में कोई मर गया। तो इस कानून के मुताबिक २४ घंटे तक अगर कोई रिश्तेदार नहीं दावा (क्लेम) करे तो मृत शरीर को तो जेल अधिकारी उस तरह के इंस्टीट्यूशन को दे देंगे जिस मतलब के लिए यह बिल बन रहा है। मान लीजिए कि लोहरदगा के कोई विधान सभा का मेंबर ही यहां बीमार पड़े और अस्पताल में हार्ट फेल होने के कारण मर जाय। उसके घर के लोग तो जानते हैं कि वह अच्छी तरह हैं और पटने में हैं लेकिन टेलीग्राम जाने पर भी उनका कोई २४ घंटे के अंदर घर से पहुंच नहीं पायेगा और मृत शरीर अस्पताल को दे दिया जायगा।

अध्यक्ष—जेल में मर जाने पर किसी को अभी क्या होता है ?

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—अभी उस व्यक्ति के घरवालों को या उसके बेटे को

खबर दी जाती है और उसको दाह संस्कार के लिए मृत शरीर दे दिया जाता है। यहां के लोगों में दाह क्रिया नहीं किए जाने पर यह धारणा है कि आदमी नर्क में जाता है। न बातों को देखने से मैं समझता हूं कि इस बिल के क्लाज बहुत डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) हैं और सरकार इसको हटा ले क्योंकि इसको लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यदि सरकार समझती है कि इसकी जरूरत है तो इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहिए ताकि वहां इस पर विचार हो और दोषपूर्ण धाराओं को ठीक किया जाय। सिर्फ पटना और दरभंगा में इसकी जरूरत है और इन्हीं दो जगहों के चलते इसको सारे प्रांत में लागू करना उचित नहीं है। इसके अलावे क्लॉज ५ के सब-क्लॉज ३ में तीन घंटे का समय दिया गया है जो इस प्रकार है :—

" Where a person dies in an approved institution and his dead body is not claimed by his near relative within a period of three hours of his death........"

मान लिया जाय यहां से ४, ५ या ६ मील के अंदर का कोई आदमी यहां मर जाय जो इंटीरियर देहात का रहनेवाला हो तो तार भी उसके यहां देरी से पहुंचेगा और कैसे ३ घंटे के अंदर कोई इसकी खबर भी पा सकेगा ? तो हमारे कहने का मतलब है कि अनेकों क्लॉज इस बिल के डिफेक्टिव हैं और हिंदू मुसलमान दोनों की भावनाओं पर चोट पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार को इस बिल को हटा लेना चाहिए नहीं तो जनता के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि या तो इस बिल को सरकार उठा ले या प्रवर समिति में इसको भेज दिया जाय जिससे इसमें उचित सुधार हो सके।

श्री यदुनन्दन सहाय—अध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर बहस हो रही है।

हमको इस उद्देश्य पर ध्यान देना वाजिब है। इसके उद्देश्य से जाहिर होता है कि इस बिल की जरूरत है ; क्योंकि इस वक्त इस तरह का कानून अगर पास किया जाय इस सदन से तो मेडिकल कालेजों और वहां के विद्यार्थियों की ट्रेनिंग का काम सुचारू रूप से चलने में बाधा उपस्थित नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारे डाक्टर ऐसे योग्य और अनुभवी हों कि हमको दूसरे मुल्कों में जाकर एलाज कराने की जरूरत नहीं हो। हमारे मेडिकल कालेजों में जो ट्रेनिंग हो वह ऐसी हो कि विद्यार्थियों को हमें फौरेन कन्ट्री भेजने की जरूरत न पड़े। अगर यह सही बात है तो यह बात कहना कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है और इसको उठा लिया जाय जैसा हमारे लक्ष्मीजी ने कहा, मैं समझता हूं वाजिब नहीं है।

हमारे हृदय बाबू का दावा है कि यह बिल क्रांतिकारी है लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्रांतिकारी तो उस हालत में यह होता जब ऐसा इसमें रहता कि मेडिकल कालेजों के जेनरल वार्ड के जितने मुर्दे हैं वे इस काम के लिए उपलब्ध हों लेकिन इसमें तो है कि जो अन्क्लेम्ड् बडीज हैं उनके जरिए ट्रेनिंग की जरूरत को रफा कर दिया जाय। तो इसमें अब आपत्ति का गुंजायस कहां ? अगर फ्रेंड को रिलेटिव के साथ-साथ नहीं रख गया तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन इस तरह की आपत्ति अगर है तो इसको सेलेक्ट कमिटी में ठीक किया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि इस बिल को उठा लिया जाय वाजिब नहीं है।

इसके सेक्शनों पर गौर करने से इसका पता चलता है कि इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात हो जाय कि मजहब पर किसी के धक्का पड़े और लोग

उत्तेजित हो उठें। जैसा हृदय बाबू ने कहा कि वसीयत लिखकर आदमी चला जाय कि उसके मृत शरीर को इस काम में लाया जाय जैसा दूसरे मुल्कों में हुआ करता है और यहां भी किया जाय। ऐसा करना यहां के लिए जरूरी नहीं है। असल चीज है यह देखना कि इस बिल का उद्देश्य क्या है अगर वह ठीक है तो इस बिल को सपोर्ट करने में कोई अड़चन होनी चाहिए।

अभी जिस रूप में यह बिल है उस पर किसी को कुछ विरोध हो सकता है लेकिन इस बिल के उद्देश्य से किसी को विरोध नहीं हो सकता है। इस बिल में जो खामियां होंगी उनको संयुक्त प्रवर समिति में दूर किया जा सकता है। इसलिये सभा के सामने जो संयुक्त प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री तुनुक लाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि सरकार सभा के सामने इस तरह के गंदे-गंदे बिल को लाती है जो जनहित के खिलाफ है और इस वजह से सरकार के इस तरह के काम से मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अभी देश के सामने बेकारी का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, लेकिन उसके लिये सरकार कोई बिल यहां पर नहीं लाती है और इस तरह के गंदे बिल को लाती है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। आप मेरी बात को सुनिये। आप अभी बैठ जायें। आपको सभा के सामने बिल में जो गलती है उसको बतलाना चाहिये। बिल गंदा है इसको नहीं कहना चाहिये। आप एक नये सदस्य हैं इसलिये आपको सीखना चाहिये कि सभा में बोलने के वक्त किस तरह का शब्द व्यवहार करना उचित है। सांसद नियम और परंपरा को ध्यान में रखते हुए आपको सभा में बोलना चाहिये।

श्री तुनुक लाल यादव—अध्यक्ष महोदय, अभी मैं यह कह रहा था कि यह सरकार इस तरह के बिल को लाती है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इस तरह का बिल लाना, हमारे जानते जनहित के खिलाफ है और जनता को भी यह बिल पसंद नहीं है। सरकार जिन्दा लोगों को तो चीर-फाड़ करती है और चीर-फाड़ करके उनको अच्छा करती या मार देती है और अब इस बिल के जरिये यह चाहती है कि जिन्दा आदमी को छोड़ कर अब मरे हुए आदमी की लाश को भी सड़ा-सड़ा कर चीर-फाड़ करें। इस चीज को मैं पसंद नहीं करता हूं और इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री बबूए लाल महतो—अध्यक्ष महोदय, कल से इस बिल पर सरगर्मी से बहस हो रही है और इसके मुतल्लिक सारी बातों को कहा जा चुका है और अब कोई नई बात ऐसी नहीं मालूम होती है जिसको कहा जाय। अभी तक जितने सदस्य इस बिल पर बोल गये हैं उनमें से इस बिल के विरोध करनेवालों की ही संख्या ज्यादा है किन्तु मैं इस बिल के समर्थकों में अपना नाम लिखना चाहता हूं। इस बिल के संबंध में मुझे यह कहना है कि.........

अध्यक्ष—आपको अभी इस बिल के बारे में नहीं कहना है। जब प्रस्ताव सदन के सामने है उसी पर बोलना है।

श्री बबुए लाल महतो—मैं सिलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। इस बिल के प्रिएम्बुल में ही साफ तौर पर यह कहा गया है कि साइन्स के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिये इस बिल को लाया गया है। अगर साइंस

को डेवलेप नहीं किया जायगा तो हमलोग बैकवार्ड ही रह जायेंगे और ऐसी हालत में इस तरह के बिल लाने की बड़ी जरूरत थी। हमारी सरकार को इस देश के साइंस के डेवलेपमेंट की ओर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिये जिसमें यहां का साइंस भी दूसरे देश की मुकाबला कर सके। इसी गरज से इस बिल को लाया गया है लेकिन फिर भी यह बिल इस देश के लोगों के सेंटीमेंट के खिलाफ है और यही कारण है कि इस हाउस में जिन्दा लाश और मुर्दा लाश की बात उठायी गयी है और यह परिभाषा में है जिस परिभाषा में श्री केदार पांडे जी की आवारा लाश थी इस संबंध में मैं सभा के सामने यह कह देना चाहता हूं कि हमारे देश के समाज में कुछ समाज ऐसा भी है जो अपनी लाश को न गाड़ते हैं और न जलाते हैं बल्कि मरने के बाद भी यह शरीर किसी के काम आ जाय इसलिये उसको ले जाकर ऊंचे-ऊंचे टावर पर रख देते हैं जिसमें लाश बेकार नहीं हो जाय। ऐसी हालत में रेलिजस सेंटिमेंट के खिलाफ कैसे होता है और इस बीना पर इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिये। फिर भाइनमगिलिशिया को जो दवे में दी जाती है, जिसको दारु जानते हुए भी लोगों को इलाज के लिये पीना ही पड़ता है जो रिलिजस सेंटीमेंट को टच करता है। इसमें रेलिजस सेंटीमेंट के सवाल को नहीं उठाना चाहिये और स्पिरिट आफ टोलरेंस से काम लेना चाहिये। साइंस की बढ़ती से समाज की ही भलाई होगी और यहां के लोगों के पढ़ने लिखने से यहां के गरीब लोगों को ही भलाई होगी। अभी हमारे देश में सर्जनों की संख्या बहुत ही कम है। सरजरी के केस के लिये अभी सर्जनों को बहुत रुपया देना पड़ता है और इसके चलते गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। अभी भी यहां पर सर्जनों की कमी की वजह से उनकी फीस २५० से १,००० रु० तक की हैं।

अध्यक्ष—डाक्टर की फीस के बारे में अभी यहां कुछ कहना असंगत है। इस बात से इस बिल को क्या ताल्लुक है ?

श्री बबुए लाल महतो—इसको मैं बतलाता हूं। इस बिल के जरिये विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये लाश जमा की जायेगी और वे लोग पढ़-लिख कर सर्जन बन करके निकलेंगे। अभी किसी आदमी को सर्जन की जरूरत पड़ती है तो उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जो लोग धनी हैं वे तो पैसा खर्च कर अपना इलाज करा लेते हैं। और यदि यहां नहीं हुआ तो विदेश जैसे इंगलैंड, स्वीजरलेंड इत्यादि जगहों में जाकर इलाज करा लेते हैं। लेकिन गरीबों को पूछनेवाला कोई नहीं उनके लिये तो कोई उपाय नहीं है इसलिये सरकार को इंतजाम करना है जिसमें गरीबों को भी सुविधा मिल सके। पढ़ने की सुविधा मिलने पर ज्यादा लोग पढ़ लिख कर सर्जन होकर निकलेंगे और ज्यादा सर्जन के होने से इलाज का खर्च कम होगा और गरीब जिन की संख्या अधिक है इनकी भलाई होगी इस प्रकार एक बड़े मानव समुदाय का कल्याण होगा।

अब रहा इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की बात मेरे जानते इस बिल के सेक्शन्स ३, ४, और ५ में कुछ खामियां मालूम होती हैं और उनको दूर करने के लिये हमारे माननीय सदस्य श्री राम लखन जी ने एक संयुक्त प्रवर समिति का जो प्रस्ताव लायें हैं वह ठीक है वह समिति इन खामियों को दूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संयुक्त प्रवर समिति में इस बिल के भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चुनका हेम्ब्रम—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पौल दयाल के जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को देखकर मुझे दुःख मालूम हुआ। मैं समझता हूं कि २४ घंटा का जो समय दिया गया है वह बहुत ही

कम हैं। इतने कम समय के अंदर मृतक आदमी के परिवार के लोगों को खबर ही न मिल सकेगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि कोई भी जाति के लोग हों चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, सबों का अलग अलग संस्कार है और संस्कार के मुताबिक लोग कार्य करते हैं। मेडिकल कालेज में शिक्षा देने के लिए बहुत अनक्लेम्ड् बडी मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से राजनैतिक दल के लोगों के परिवार के आदमी को २४ घंटे के अंदर खबर नहीं मिलती है। ऐसी हालत में यदि कोई ऐसा आदमी मर जाय और उनके मृतक शरीर को आप २४ घंटा १ मिनट पर आप ले लें तो यह अच्छा नहीं मालूम होता है। इसको हम नाजायज समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोच समझ कर, पब्लिक ओपिनियन लेकर एक दूसरा बिल लावें। इतना ही कह कर मैं इस बिल का विरोध करता हूं और पब्लिक ओपिनियन के प्रस्ताव को समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से वाद-विवाद चल रहा है। वाद-विवाद को देखने और सुनने से यह ख्याल पैदा होता है कि यह बिल तो बहुत सुन्दर है, परन्तु इसके अंदर बहुत कुछ त्रुटियां रह गयी हैं जो विचारणीय हैं फिर भी। इसका मकसद बहुत सुन्दर है और प्रशंसनीय है। मेडिकल कालेज के छात्रों को मानसिक विकास के लिए मृतक का लाश दिया जाय, यह भी बहुत सुन्दर है और देना चाहिए। परन्तु बिल में यह जो विधान रखा गया है २४ घंटे का, इसपर जनमत का ख्यालात अच्छा नहीं होगा। २४ घंटे का समय दिया गया है कि २४ घंटे के अंदर यदि कोई आदमी लाश का क्लेम नहीं करे तो वह लाश मेडिकल कालेज के छात्रों को दे दिया जय। तो यह २४ घंटे का समय बहुत कम है और इसके लिए उदारता दिखलानी चाहिए यदि कोई भी आदमी उस लाश पर काम करना चाहे और वह व्यक्ति उसके परिवार का हो या उसका मित्र हो, तो उस लाश को उसके दावेदार को दे देना चाहिए। इस तरह यदि इसमें संशोधन हो जाय तो हम समझते हैं कि यह काम लोकोपकारार्थ होगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि फौरेन कंट्री के लोग स्वेच्छा से मानसिक विकास के लिए लाश को मेडिकल कालेज के छात्रों को दे देते हैं। हम समझते हैं कि यदि सरकार इस तरह की एक बिल पास करे कि यदि किसी स्वेच्छा से मेडिकल को दान कर दें तो सरकार उस दान देने के पुरस्कार में मृतक के परिवार के भरण पोषण के लिये परिवार में किसी को नौकरी देकर सहायता करें ऐसी दशा में लोग स्वेच्छा से लाश को दे सकते हैं। इस तरह का सुधार बिल में होना जरूरी है। मैं प्रवर समिति में इस बिल को सौंपने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि प्रवर समिति सारी बातों पर विचार करे और इसको एक ठोस बिल बनावे जिसमें जनमत का विरोध नहीं हो। तभी इस बिल का मकसद भी पूरा होगा और छात्रों को सहायता भी मिल सकेगी। फिर भी मैं प्रवर समिति को सौंप जाने का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि इसके त्रुटियों पर विचार रखते हुए संशोधन किया जाय और बिल तब पास हो तो बहुत अच्छा हो।

श्री गणेश प्रसाद शाह—अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रवर समिति के प्रस्ताव को समर्थन करते हुए एक दो बातें कह देना चाहता हूं। आजकल, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चन हो, सभी तबके लोग अपने-अपने लड़कों को मेडिकल कालेज में पढ़ाने के लिए उत्सुक और लालायित रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके लड़के मेडिकल कालेज में लाशों का चीड़फाड़ करेंगे। यह उनके धर्म के खिलाफ है यह जानते हुए भी वे वहां भेजने के लिए लालायित रहते हैं। मेडिकल साइंस मानव-कल्याण के लिए है और उसको बढ़ाने के लिए निर्जीव लाश मांगी जाय तो इसके लिए मैं समझता हूं

कि किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अभी तक जिन लाशों को लेनेवाले नहीं रहते हैं उसको मेडिकल कालेज में पढ़ाने के लिये ली जाती है और उसके लिए कोई हंगामा नहीं होता है।

अगर किसी से यह पूछा जाय कि ट्यूब वेल जिसमें चमड़ा का वाशर रहता है उसका पानी पियोगे तो आप यकीन जानें कि यही आवाज उठेगी कि हम उसका पानी नहीं पी सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ट्यूब वेल चल गया है और सब लोग चमड़े का पानी पी रहे हैं। यों मेडिकल कालेज में लाश मिल जाया करती है और काम चलता ही है लेकिन व्यवहारिक रूप से आप चाहते हैं और यह चाहते हैं कि लोगों से राय लेकर अनक्लेम्ड् लाश ली जाय जिससे विज्ञान में सहायता मिले तो इसके लिये एतराज किया जाता है। जिस तरह से एक स्वयंपाकी ब्राह्मण खाना बनाने बैठता है तो अपने चारो तरफ एक दायरा खींच देता है और उसके बाहर अपना बांया हाथ नापाक समझ कर खाता है। लेकिन उसको यह मालूम नहीं पड़ता है कि जिस महाशय को साफ करने के कारण हाथ को वह नापाक समझता है वह महाशय खुद उस दायरे के भीतर रहता है। इसी तरह लड़कों को पढ़ाने के लिये लालायित रहने वाले, लाशों को देने के लिये धर्म के नाम पर एतराज करें तो यह ठीक नहीं है।

श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को ज्वायंट सेलेक्ट कमिटी में

जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस बिल को देखने से मालूम होगा, और जैसा कि कुछ पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाया है कि इसमें कुछ खामियां हैं। मैं सिर्फ दो एक खामियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि अन्य स्टेटों में जैसे कि पड़ोस के नेपाल राज्य में इस तरह के काम के लिये क्या होता है। मुझे निजी अनुभव है। करीब दो वर्ष हुए एकाएक नेपाल से एक तार मेरे नाम घर पर मिला कि मेरे पिता जी जो शिवरात्री के समय नेपाल गये हुए थे उनकी मृत्यु हो गई। हमारे यहां का और कोई आदमी वहां नहीं था। ६ बजे सुबह नेपाल से तार दिया गया और ३ बजे हमें वह तार मिला। हम यहां आकर प्लेन से गये लेकिन तौभी ३५ घंटे वहां पहुंचने में लग गये। मैंने सोचा था कि शायद लाश नहीं मिल सकेगी लेकिन वहां का इंतजाम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और ख्याल हुआ कि ऐसा ही प्रबंध दूसरे राज्यों में हो तो अच्छा होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई भी किसी धर्म का क्यों न हों अपने पिता सगे संबंधी के शव के लिये कितना चिंतित होता है ताकि वह उसका अपने हाथ से अंतिम संस्कार कर सके। नेपाल में एक मृत्यु संस्कार संस्था हैं जिस के जिम्मे लावारिस के मृत्यु शव के संस्कार का काम है। उस संस्था के लोग पता लगा कर खबर देते हैं और ३६ घंटे तक लाश को जरूर रखते हैं। अगर उसके संबंधी का पता नहीं चलता है तो उसके धर्म के मुताबिक अन्तिम संस्कार शव का करते हैं। अगर पता नहीं चलता है कि वह शव किस संप्रदाय का है, हिंदू है या मुसलमान है, तो अंदाजा से जैसा उनको समझ में आता है उसी के मुताबिक वे संस्कार करते हैं। स्टेट से १२॥) रु० प्रति संस्कार के लिये उन्हें मिलता है अलावा इसके कपड़ा और धूप वगैरह के लिये भी खर्चा मिलता है। मैं बहुत परेशान था, कई जगह धर्मशाला और मन्दिर में पता लगाने के बाद अंत में इंडियन इम्बैसी के लोगों ने कहा कि अस्पताल या मृत्यु संस्था में पता लगायें। उस समय तक ३६ घंटे हो गये थे। इसके बाद ही हम ने देखा कि कुछ लोग जो विद्यार्थी थे वे नंगे पैर पीताम्बर पहने शव ढोने वाले स्टेचर को साथ लेकर आ रहे थे। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उस घर में एक आदमी की लाश है जो खद्दर पहने हुए हैं। हमलोग उन्हीं के संस्कार के लिये जा रहे हैं। जाने के बाद हमने देखा कि बहुत अच्छी तरह से लाश को उनलोगों ने सुला रखा था, सिरहाने घी की बत्ती जल रही थी और सब

सामान सनातन धर्म के अनुसार वहां मौजूद था। मैं समय पर पहुंच गया और उनकी मदद से संस्कार को पूरा किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह की अनक्लेम्ड् लाश हो तो स्टेट का फर्ज हो जाता है कि ऐसी अवधि रखें जिसमें उसके वारिस को खबर मिल सके। हम देखते हैं कि आपने २४ घंटे की अवधि रखी है इतने कम वक्त में कैसे खबर होगी, यह सोचने की चीज है। देहात में डाक के लिये वीट का दिन मुकर्रर रहता है। उसको कैसे खबर मिल सकेगी कि वह आ सकेगा। इस तरह वह गरीब अपने सगे संबंधियों के धार्मिक संस्कार से वंचित हो जाता है। मैं समझता हूं कि स्टेट को ऐसा प्रबंध करना चाहिये और समय पूरा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि साइन्टिफिक युग में लाशों की ज्यादा जरूरत है लेकिन इस काम के लिये ऐसे लोगों के शव मिल सकते हैं जिनके संस्कार के लिये संसार में कोई परिवार नहीं है। आप देखते हैं कि सड़कों पर कितने लोग अपना जीवन बिताते हैं जिनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। आपके पास इनके रजिस्ट्रेशन का ऐसा प्रबंध रहता जिससे आपको मालूम होता कि इसका कोई वारिस है या नहीं तो आपको इनकी लाश मिल जाती। इस तरह से अस्पताल में, जेल में या और कहीं जगह कोई मर जाय तो २४ घंटे की नोटिस देकर उसकी लाश को काम में लाना मेरी समझ में धर्म पर आघात होगा और लोगों के दिल में चोट लगेगी। मैं समझता हूं कि इन चीजों को ध्यान में रख कर इस कानून में संशोधन करना चाहिये।

दूसरी बात है कि आपने क्लाज ५ में रखा है अगर किसी आदमी को परमानेंट घर नहीं हो और वह पब्लिक प्लेस में मर जाय और उसका कोई वारिस नहीं हो तो औथोराइज्ड् अफसर को उसका बौडी मिल जायगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको परमानेन्ट रहने की जगह नहीं है, नौकरी पेशा है, जहां नौकरी की वहां सरकारी मकान में जिन्दगी बिताई। जब नौकरी से हट गये तो वे बेघर के हो जाते हैं। इस विषय पर भी विचार करना होगा कि इस तरह के लोग अगर मर जायं और कोई धार्मिक संस्था उनकी लाश मांगे तो उन्हें दे देना चाहिये।

आर्यसमाज या मुसलमानों की भी संस्थाएं हैं जो इस तरह के डेड बडीज का डिस्पोसल करती हैं। अभी आपने देखा है कि कुंभ के मेला में ३५० लाशें थीं जिनका प्रवन्ध सरकार की तरफ से किया गया। नेपाल में क्लाइमेट ऐसा है कि वहां ३६ घंटा लाश रखी जा सकती है लेकिन बिहार में जहां का क्लाइमेट कुछ ड्राइ है वहां १४-१५ घंटा लाश रखी जा सकती है। लेकिन साइनटिफिक तरीके से अर्थात् ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इस्तमाल करके लाश को ३६ घंटा तक रखा जा सकता है। इसलिए इसमें प्रोविजन यह होना चाहिए कि जिस धर्म का वह आदमी है उस धर्म की संस्था को वह लाश मिल जानी चाहिए।

इसके बाद में पेज ३ की ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। इसमें बहुत बड़ा पावर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हौस्पिटल में जो होता है, आपके सामने में रखता हूं। एक अच्छे घर की स्त्री जिसको डिलेभ्री होने वाली थी हौस्पिटल में ऐडमीशन के लिए गई। उसका हसबैंड एक दूसरे आदमी के ऊपर छोड़ कर अपनी नौकरी पर चला गया। हौस्पिटल वालों ने यह कह कर कि सोरियस केस नहीं है अस्पताल से हटा दिया और वह बेचारी पीपल के पेड़ के नीचे बरसात के दिन में पड़ी रही। उसको वहीं डिलेभ्री हुई। बेचारी बरसात के दिन में मरते-मरते बची। आखिर में उसको धर्मशाला में ले जाया गया। हौसपीटल के नर्स वगैरह की मदद से उसकी जान बची। देहात के लोग इस तरह परेशान होंगे अस्पताल के अफसर समझेंगे कि सरकार का काम बन्द हो जायगा लाश को तुरत दे दें। इसमें बहुत बड़ा पावर दे दिया गया है। मैं कहूंगा कि इतना बड़ा पावर नहीं दिया जाय।

उनके रिलेटिव के दायरे को बढ़ा दिया जाये लाश को ३६ घंटा तक प्रीजर्व करने का सरकार की ओर से प्रबन्ध होना चाहिए। सरकार की तरफ से संस्कार का भी प्रबन्ध होना चाहिए जैसा कि दूसरी जगहों में है। प्रीजनर के सम्बन्ध में भी ऐसा होना चाहिये या तो जेल के अथोरिटी के द्वारा या दूसरी तरह से सूचना देने का प्रबन्ध करना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई सबन्धी नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाये और उनकी लाश को यूटिलाइज किया जाय। कम से कम उसको लेकर आपका काम चल सकता है।

अध्यक्ष—नेपाल में अनक्लेम्ड बडी का भी संस्कार होता है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—हां होता है सनातन धर्म के मुताबिक संस्कार होता है। संस्कार में लकड़ी, घी, बेल और चंदन लगता है कुल मिलाकर करीब ५० रुपये खर्च होता है और वह सरकार देती है।

श्री रामचरित्र सिंह—उनका यह कहना है कि लाश के संस्कार का इंतजाम सरकार करे। ऐसा करने से जो बिल का ओबजेक्ट है वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेपाल में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसलिए वहां इसका इंतजाम होगा। चूंकि नेपाल में मेडिकल कॉलेज नहीं है इसलिए वहां लाश की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां दो मेडिकल कॉलेज हैं। यहां लाश की जरूरत पड़ती है। ऐसी हालत में उनका जो सजेशन है वह एक्ट की मंशा को फ्रस्ट्रेट कर देगा।

श्री नन्दकिशोर नारायण—मिनिस्टर साहब ने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरे कहने की मंशा थी कि ३६ घंटा तक लाश को प्रीजर्व कर सकते हैं।

(अपराह्न भोजन के लिये अवकाश।)

श्री जगत नारायण लाल—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से इतना काफी वाद-विवाद हो चुका है कि इसपर और देर तक बोलना ठीक नहीं मालूम होता और यों तो देखने में यह बिल साधारण सा मालूम होता है। इसका उद्देश्य मेडिकल साइंस की प्रगति में सहायता देने का है। उससे समझदार व्यक्तियों को काफी सहानभूती है। परन्तु जिस प्रकार से उस काम को करने का प्रबन्ध किया गया है या विचार लाया गया है वह काफी नाजुक है और यह प्रश्न समाज के लिये भी बड़ा नाजुक प्रश्न है। इसमें बहुत तरह के सेन्टिमेंट इनवौल्भड हैं जिनकी चर्चा में नहीं करना चाहता हूं। वे अपनी जगह पर हैं। जिस सम्प्रदाय का मनुष्य मरता है उसके शव का संस्कार उसी सम्प्रदाय के अनुसार होता है और उस सम्प्रदाय के लोगों पर उसकी ज़िम्मेवारी होती है। धार्मिक भावनाओं की बात छोड़कर मैं व्यवहारिक भावनाओं की ओर जाता हूं। जहांतक मेरा अन्दाजा है अनक्लेमड बडीज से अभी भी यही समझा जाता है कि अस्पतालों में जो लोग मर जाते हैं और जिनकी लाश का कोई दावेदार नहीं होता है उन लाशों का पोस्टमौर्टम डिसेक्सन अस्पताल में किया जा सकता है। इस बिल के लाने से भिन्न-भिन्न सेक्शन के लोगों का प्वान्टेड अटेनशन इस ओर चला गया है और जब बिल कानून का रूप धारण कर लेगी तब तो लोगों का ध्यान उधर और भी जायगा और आन्दोलन का एक व्यर्थ साधन बन जायगा। मान लीजिये कि अस्पताल में कोई आदमी मर गया जिसके नाम, जात, आदि का कोई पता नहीं है तब उसकी बात अलग हो सकती है। लेकिन यदि किसी सम्प्रदाय का

आदमी मर जाय तो उस शव को उस सम्प्रदाय के लोगों को भी दे देना चाहिये। हमारे यहां बूढ़ों के प्रति काफी सैंकटिटि रहती है। एक बूढ़े का शव उसके बाल-बच्चों और नाती पोतों के लिये देवता का रूप धारण करता है। बहुत से लोगों ने इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैं इससे खेल करना नहीं चाहता हूं। पहले जिस तरह से शव मिल जाता था वह तो उसी तरह मिलता रहेगा। इस बिल को लाने की उसके लिये जरूरत भी नहीं थी। इनफंक्सस डिजिज को रोकने के लिये जो नियम लागू था वह तो लागू रहेगा ही, मेरे साथियों ने इसपर काफी कहा है। मैं सिर्फ उस आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिये, अपनी जिम्मेवारी को समझ कर, खड़ा हुआ हूं। बहुत से साथियों ने कहा है कि शव को ३६ घन्टे तक रक्खा जाय परन्तु मेरा कहना है कि बर्फ वगैरह से इन्तजाम करके ४८ घन्टे तक शव को रखना चाहिये। मेरी राय है कि या तो सरकार इस बिल को उठा ले और नहीं तो इसमें ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि यदि कोई भी आदमी डेड बडी का क्लेम करे तो उसको यह शव मिल जाना चाहिये और ४८ घन्टे तक शव को प्रिजर्व करने का प्रयत्न होना चाहिये। नहीं तो समाज शायद इस चीज को बर्दास्त नहीं करेगी और एक हलचल हो सकती है।

श्री विनोदानन्द झा--अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस तजबीज को लाकर बड़े

साहस का काम किया है और साथ ही साथ इसको सेलेक्ट कमिटी में देने की जो राय है वह बड़ी ही बुद्धिमानी की बात है। हमारे देश में चूड़ाकरण से लेकर दाहक्रम तक के संस्कारों की पवित्र परिपाटी है। प्रवर समिति में इस बिल में काफी सुधार किया जायगा। जिस तरह मरे हुए आदमियों का धार्मिक संस्कार होना चाहिये उसी तरह बचे हुए आदमियों की रक्षा करना भी धार्मिक संस्कार होना चाहिये। मेडिकल कॉलेज की स्थापना या आर्युवेदिक या तिबी कॉलेज की स्थापना इसी तरह की गई है। इस बिल में सबसे ज्यादा त्रुटियां दफा ५ में है कि रिसर्च के लिये यह अनक्लेम्ड् बडीज करार दिया जायगा। आयुर्वेदिक और तिबी संस्थाओं के लिये इस बिल में कोई खास इन्तजाम नहीं है। चोपरा कमिटी की सिफारिश थी कि अनाटोमी को बढ़ाना अनिवार्य है। इसके लिये मेडिकल कॉलेज के पास पहले दरखास्त देते थे और वहां इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में वाद-विवाद होता था।

यदि यह दफा ५ इसी रूप में रहा तो इस बिल का सारा प्रयोग एलोपैथिक सिस्टम के लिए होगा और आयुर्वेदिक तथा यूनानी सिस्टम वालों की आवश्यकता की पूर्त्ति नहीं होगी। इसलिए जब हम इस बिल का उपयोग चिकित्सा संस्थाओं के लिये करना चाहते हैं तो सभी चिकित्सा संस्थाओं में एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, और इस बिल को ऐसा रूप देना होगा कि किसी जाति या धर्म के लोगों पर कोई ठेस नहीं पहुंचे। दूसरी बात यह है कि इस बिल को आप सारे प्रान्त के लिए लागू कर रहे हैं तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब कि हमारे मेडिकल कॉलेज पटना, दरभंगा और रांची में ही होंगे और वहां इन लाशों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। हमें इसका बराबर ख्याल करना चाहिए कि जहां तक हो सके लोगों में उत्तेजना की भावना कम हो। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाता हूं कि जब यह बिल दोनों सदनों से मंजूर हो जाय और जनता जनार्दन उसको न माने तो उधम मच जा सकता है। विलायत के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वहां जब मेडिकल कॉलेज के लिए लाश की जरूरत हुई तो वहां कब्रिस्तान से लाशों की चोरी होने लगी और उसकी बहुमूल्य तिजारत होने लगी। साथ-साथ कपड़े भी इकट्ठे होने लगे। ऐसा वर्णन बर्कन हेड के प्रसिद्ध ग्रन्थ में है। बहुत से लोग पकड़े गये, लेकिन यह काम जारी रहा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज

को लाशों की आवश्यकता थी। आपको मालूम है कि जिस काम की पूर्ति कानूनी ढंग से नहीं होती है उसको लोग ब्लैक मेथड से काम करते हैं। जब देश में कुछ चीजों की कमी हो गयी थी तो लोग ब्लैक मार्केट उस चीज का किया करते थे। इसका खतरा हिन्दुओं में तो कम रहेगा क्योंकि हिन्दुओं की लाश १०.५ घंटे में जलाकर भस्म कर दी जाती है। लेकिन जिन लोगों की लाश दफनायी जाती है और काफी दिन तक सुरक्षित रखी जाती है, उनकी लाशों की चोरी का भय है। इसलिए हमको इन सब बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि उनकी धार्मिक भावना पर ठेस नहीं लगे। इसलिए अभी इस बिल के रूप से घबड़ाना कुछ लोगों का वाजिब है। इसलिए इस बिल में परिवर्तन करना इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि किसी की रीति-रिवाज में या साम्प्रदायिक भावना में ठेस नहीं पहुंचे। इसके अलावे आज आयुर्वेदिक, यूनानी सिस्टम से पढ़ने वाले छात्र भी इस तरह की शिक्षा चाहते हैं उसके लिए भी इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा करने से सब का सहयोग आपको इस काम में प्राप्त होगा ; क्योंकि चिकित्सा संस्थायों की रक्षा करना सभी चाहते हैं जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इसलिए किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाते हुए जब हम विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो सब लोग इसका स्वागत करेंगे। अतः इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वहां इसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके। अगर प्रवर समिति में बहुमत की एक राय नहीं हो सकी तो सरकार को विचार करना होगा कि इस विधेयक को लाया जाय या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सरस्वती चौधरी—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलने का मेरा इरादा नहीं

था। लेकिन आज दो दिनों से इस पर बहस हो रही है इसलिए मेरा भी जी हो गया कि कुछ कह दूं।

मैं समझती हूं इस बिल को हाउस में लाने की जरूरत इसलिए पड़ गयी कि अस्पताल को लाश की जरूरत है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि इस बिल के पास हो जाने पर अस्पताल को मुर्दे कैसे मिल जायंगे।

मेरा ख्याल है कि अस्पताल में मरने वाले व्यक्तियों को कुछ घंटे से अधिक बाहर नहीं रखा जाता है। २४ घंटे के बाद यदि उसका क्लेमेंट आता है तो वह लाश नहीं पाता है। फिर इस बिल को पास करने का मेरी समझ से कोई मकसद नहीं निकलता है।

यदि २४ घंटे के बाद लाश अनक्लेम्ड घोषित कर दिया जायेगा तो मेरा ख्याल है लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। और यदि समय बढा दिया जायेगा तो अस्पतालों को लाश मिलने में दिक्कत हो जायेगी आज तो २४ घंटे के बाद वह लाश को जब्त कर लेता है। कानून बन जाने पर २४ घंटे के बाद भी ले लिया जा सकता है। और तब अधिक मुर्दे अस्पताल से बाहर जाने लगेंगे। इसलिए किसी भी रूप में सरकार का मकसद पूरा नहीं होता है अतः ऐसे वाहियात बिल को ड्रौप ही कर देना चाहिए।

*श्री रासबिहारी लाल—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से जो बहस शुरू हुई है

उस पर बहुत सी बातें कही गयीं हैं। मैं भी दो चार शब्द इसके बारे में कह देता हूं। इस बिल के पक्ष या विपक्ष में जितनी भावनाएँ प्रकट की गयी हैं वे सब अपनी २ जगह पर सही हैं। इसमें कोई शक नहीं, कि इस बिल की मेडिकल सायंस में प्रगति लाने के लिए लाशों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बिल में लाश उपलब्ध करने का जो तरीका बतलाया है वह अनक्लेम्ड लाश के लिए बतलाया गया है। लेकिन जब यह कानून नहीं बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस कानून

के मुताबिक जो तरह २ की बीमारियों से मरेंगे उन्हीं की लाश मेडिकल कॉलेज को प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉविजन नहीं है जो बहुत बड़े दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी लाश प्राप्त की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव मेरे मित्र चौधरी जी तथा श्री बिनोदा जी ने दिया है उससे भी सरकार काम चला सकती थी, हालांकि मेरे मित्र बिनोदा जी का तरीका गलत है। परन्तु सरकार ऐसा न कर इसके लिए कानून पास करने जा रही है। जब हमने बिल के स्टेटमेंट्स के ऐम्स और ऑबजेक्ट्स को देखा तो पता चला कि सरकार लड़कों की पढाई की सुविधा के लिए यह कानून बनाना चाहती है। पुरानी सरकार (अंग्रेज लोगों) का यह तरीका था कि यदि वह गलत से गलत काम करना चाहती थी तो उसको इस तरह जनता के सामने रखती थी कि जनता समझे कि यह उनके लाभ की चीज है। सरकार को भी चाहिए था कि चूंकि बहुत से मुर्दे लावारिस छोड़ दिए जाते हैं और उनका संस्कार करने वाले कोई नहीं मिलते हैं इसलिए सरकार ने उचित समझा कि ऐसी लाशों को वह अपने अधिकार में ले ले और उसका उचित तरीके से संस्कार करे। यह न कह कर सरकार ने एक ऐसी वजह रख दी जिससे लोगों के सेंटीमेंट पर बुरा असर अवश्य पड़े। मैं देखता हूं कि यह बिल कितना भी खराब क्यों न हो परन्तु सरकार इसे वापस लेगी नहीं इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे सेलेक्ट कमिटी में अवश्य भेजें जिसमें कुछ लोग इस पर विचार करे। हालांकि यदि सरकार चाहेगी तो सेलेक्ट वापस आने पर भी इसे पास कमिटी से ही कर देगी।

अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है, सेलेक्ट कमिटी को अधिकार है कि यदि वह इस विधेयक को अनुचित समझेंगी तो सरकार को वापस ले लेने के लिए अभिस्ताव कर सकती है।

श्री रास बिहारी लाल—जी, हां, ऐसा भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ सिंह—यह बिल जो सदन के सामने है और जिस पर कल से वाद-विवाद चल रहा है उसकी मुखालफत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे मेडिकल मिनिस्टर साहब ने न मालूम किस उद्देश्य से इस बिल को सदन में रखा है समझ में नहीं आती है। किसी तरह के, जब कानून बनता है तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभ ही होता है कुछ ही तादाद में लोगों को हानि होती है। परन्तु इस बिल के पीछे तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख याने जितने लोग हैं उनके सेंटीमेंट को बेकार टच किया जाता है। अतः अध्यक्ष के द्वारा मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को मेहरबानी करके वापस कर लें। कल चौधरी जी ने दधीचि की बात कही, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि किसी कानून के वस में आकर दधीचि ने अपने शरीर का मांस नहीं दिया था, दान तो हृदय से दिया जाता है। यदि आप दान लेना चाहते हैं तो जनता से अपील करें कानून बना कर आप इस काम को कदापि नहीं कर पायंगे। यदि कोई सख्स कानून के बल पर दधीचि के शरीर का मांस मांगता तो उसे सर्व प्रथम दधीचि के वाण का शिकार होना पड़ता। अगर अस्पताल में आप को लड़कों के पढ़ने के लिये मुर्दों की जरूरत है तो मेडिकल मिनिस्टर साहब को चाहिये था कि वे सरकार से अलग होकर, यानी एक लीडर की हैसियत से जनता से अपील करके लड़कों को पढने के लिए हमें मुर्दों की जरूरत है तो इस अपील का असर अच्छा होता। ऐसा न करके आप कानून के जरिये एक तूफान सारे प्रांत में पैदा कर देना चाहते हैं। लोग यही कहेंगे कि यह लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार ने जमींदारियां छीन ली,

काश्तकारी छीन ली, पूंजी छीन ली, और अब मुर्दों पर अधिकार जमाना चाहती है। यही प्रचार सरकार के खिलाफ किया जायगा। आज भी जब लोगों ने अखबार पढ़ा होगा तो यही कहते होंगे कि अब इन लोगों को कुछ नहीं रह गया है तो मुर्दों को छीनने के लिए झगड़ा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह साबित करना कि मृतक प्राणी का कौन क्लेमेन्ट है, कोई आसान काम नहीं है और आपके अफसर क्लेमेन्ट को दो चार बार दौड़ा देंगे और इसी में समय निकल जायगा और उस पर सरकार का अधिकार हो जायगा। आप जानते हैं कि एक बैंक में रुपया जमा कर देना बहुत आसान काम है लेकिन यदि वही आदमी रुपया निकालने जाता है तो यह साबित करना कि मैं ही रुपया जमा किया हूं इसके लिए एक हुत वड़ा झंझट पैदा हो जाता है।

मनीआर्डर पाने में जो दिक्कत होती है उससे हम समझते हैं हम सभी परिचित हैं। हमलोग जेल में जब थे तो वहां सफाई वगैरह की कमी हो जाती थी और तब पुलिस को खबर भेजी जाती थी कि सफाई के लिए आदमी भेजो और पुलिस बाहर से पकड़ कर १०-१५ मेहतरों को भेज देती थी। तो ऐसी ही बात यहां भी समझिये। आप को मुर्दे की जरूरत होगी आप क्लेम करने वाले को चकमा दे दीजिएगा और २४ घंटा तक वह इधर उधर ढूंढता रह जायगा जिसके बाद आप मेडिकल कॉलेज को दे दीजिएगा। तो मेरा कहना है कि यह एक नई चीज लाकर आप देश में रायट कराना चाहते हैं और साथ-साथ अप्रिय भी होना चाहते हैं। लोकप्रिय होने के नाम पर आप शासन कर रहे हैं लेकिन ऐसा वातावरण इसके चलते पैदा करने जा रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। अगर हमारे चौधरी जी को इतनी लगन है मेडिकल सायंस के लिए तो अभी से वह एक वसीयतनामा लिख कर रख दें कि उनका शरीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाय या रजिस्ट्री कर दें कि मेरी लाश दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाय।

अध्यक्ष—लेकिन उस वसीयतनामे को नहीं मानने वाले पर कोई फौजदारी जुर्म नहीं कायम किया जा सकता है।

श्री विश्वनाथ सिंह—चौधरी जी ने फिर कहा कि दधीचि ने अपनी हड्डी तक दे दी पुण्य कार्य में। लेकिन यह क्यों भूलते हैं कि गिद्ध का संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों किया? हमारे इधर के एक दोस्त ने कल बताया कि जगह-जगह ऐसी कमिटियां हैं जिनके पास फंड भी रहता है कि लावारिस लाश की अंत्येष्टि चाहे वह जिस धर्म के मानने वाले की हो उसके मजहब के असूलों के मुताबिक कराती हैं। इसलिए हमारे मेडिकल मिनिस्टर साहब से हमारी प्रार्थना है कि वे नवजवान हैं और इस तरह के बिल को मेहरबानी करके अभी न लावें तो अच्छा होगा।

श्री बासुकी नाथ राय—अध्यक्ष महोदय, कल से मुर्दा बिल पर बहुत बहस हम सुन रहे हैं और आज हम उसको जिन्दा करने जा रहे हैं। हम माननीय मेडिकल मिनिस्टर साहब के लाए हुए मुर्दा बिल का घोर विरोध करते हैं इसलिए कि हमारे हिन्दू धर्म-शास्त्र में मृत शरीर का संस्कार करने को सुन्दर बतलाया गया है और वह संस्कार सुन्दर विधि से होना चाहिए। अंग्रेजों के समय हमारे देश में सायंस के जरिए ही सब काम होता था लेकिन उनके जमाने में भी मुर्दा बिल नहीं बना और अब हमको जब आजादी मिली है तो हम इतने प्रगतिशील हो चले हैं कि यह मुर्दा बिल लाए हैं। अब इस बिल के चलते हम सुझाव देते हैं कि और कई बिल लाए जायं। सुना है सेंट्रल असेम्बली में एक ऐसा बिल आनेवाला है कि कोई आदमी हमारे देश में तीन से ज्यादा

बच्चा पैदा नहीं करे क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत बढ गई है। ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि यह मुर्दा बिल उसमें इस तरह लागू कर दिया जाय कि अगर तीन से ज्यादा बच्चे हों तो उनको अनक्लेम्ड कह कर और एक लाश की तरह समझ कर मेडिकल संस्था में दे दिया जाय ताकि सायंस के अध्ययन में हम आगे बढ़ें (हंसी) और अगर ऐसा नहीं हो तो हम कहेंगे कि वे अब ४० वर्ष से ज्यादा हो गए हैं त्याग की भावना से प्रेरित होकर अपने को मेडिकल कॉलेज में जाकर चढा दें (हंसी)। खाद्य की समस्या भी आज विकट हो चली है। हमारे मेडिकल मिनिस्टर साहब ने इस मुर्दा बिल को लाकर एक मेडिकल सायंस की ही समस्या को नहीं हल कर दिया, इससे खाद्य की समस्या भी बहुत कुछ हल हो जाती है। बूढे जितने हैं उनके घट जाने से खाद्य की समस्या भी हल हो जाती है और मेडिकल सायंस को भी चीर-फाड़ करने का सुलभ अवसर आसानी से मिल जाता है। तो खाद्य मिनिस्टर साहब का भी इससे उपकार हो जाता है।

इस तरह काम नहीं चलेगा। हमारा विचार है कि इस बिल को किसी तरह भी न लाया जाय। आज हमारे विरोधी देश में कम नहीं हैं। देहातों में आज इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि इस सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये लोग अभी कह रहे थे कि अब मुर्दे पर कर लगने जा रहा है लेकिन अब कहने लगेंगे कि मुर्दा भी ले लिया जायगा। पोपुलर सरकार को कायम रखने के लिए जिन्दा बिल लाने की जरूरत है जिससे कुछ फायदा हो। मैं आपके द्वारा मेडिकल मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी में न भेजें बल्कि इसको वापस ही ले लें। बस इतना ही मुझे कहना था। जय हिन्द।

*श्री शत्रुघ्न बेसरा—इस बिल के संबंध में हम को यही कहना है कि मुर्दा नहीं

मिलने के कारण इसको लाने की आवश्यकता हुई है। तो हम तो यही समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर ठीक से काम करे तो इसकी कमी नहीं होगी। हर साल बहुत लोग बीमारी से मर जाते हैं जिसकी खबर सरकार को जल्दी नहीं मिलती है। अगर सरकार एस० डी० ओ० को आदेश दें कि मुर्दा को वह लाये जाने का प्रबंध करे तो यह आवश्यकता पूरी हो जायगी क्योंकि जो लोग इस तरह मर जाते हैं उनको बहुत जगह कोई पूछने वाला नहीं होता है और ऐसे मृत शरीर आसानी से काम के लिए लिए जा सकते हैं बिना किसी विरोध के। अब यह भी कहा जाता है कि इस तरह अच्छे ब्रेन वाले आदमी की लाश नहीं मिलेगी। जो यह कहते हैं उनको मैं आप के जरिए समझा देना चाहता हूं कि ऐसा मुर्दा कैसे मिल सकता है इस बिल में इंतजाम किया गया है। अनक्लेम्ड बडी का डिफिनीशन इस बिल में दिया हुआ है उससे ऐसा हो सकता है कि राजनैतिक दल के किसी आदमी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जब उसका मृत शरीर २४ घंटे तक अनक्लेम्ड रह जाय।

अभी जिस तरीके से कानून बनने जा रहा है उससे यह भी हो सकता है कि सरकार किसी को गोली से मरवा सकती है और उसके बडी को भी अनक्लेम्ड कह कर रख ले सकती है और उनके रिश्तेमंदों को लाश नहीं मिल सकती है। ऐसा करना कहां तक जायज होगा, इसको आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह का बिल सरकार को हाउस के सामने नहीं लाना चाहिये था। यह बिल बहुत ही खतरनाक बिल है। इसलिये जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं जिसमें इस बिल पर जनता की भी राय मालूम हो जाये।

*श्री अम्बिका सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने के लिये मैं सरकार को

बधाई देना चाहता हूं क्योंकि सरकार अभी तक जिन्दे लोगों की हिफाजत किया करती थी और अब वह मरे हुए लोगों की लाश को भी हिफाजत से रखने का इंतजाम करने जा

रही हूं। इस सदन के सामने सरकार ने मुर्दे के विल को पेश कर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि आज हमलोग भी इस मुर्दे विल के साथ तीन दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर भी पता नहीं है कि इस मुर्दे वाले विल का क्या होगा। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और जब इस बिल के बारे में इतिहास लिखा जायगा तो उसमें श्री बासुकी बाबू का नाम जरूर रहेगा और हमारे आधुनिक दधिचि कुलदीप बाबू का भी जिक्र रहेगा। अभी तक तो हम यही देखते आये हैं कि लोग इन्शोरेन्स करते हैं कि हमारी जिन्दगी के बाद इतना रुपया हमारे परिवार को मिल जायगा लेकिन इन लोगों के विचारों से अब यह भी पता लगता है कि सरकार अब एक ऐसी एजेंसी बनाये जो इस तरह के समाज सेवी लोगों से जो दधिचि का स्थान लेने वाले हैं, उनसे पूछे कि वे लिख दें कि उनके मरने के बाद उनका शरीर देश के काम में लाया जायगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जैसा कि हमारे नंदकिशोर बाबू ने भी कहा था कि लाश को........

अध्यक्ष—देश सेवी लोगों के बारे में अब आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्या?

श्री अम्बिका सिंह—हमारे एक भाई ने तो यहां तक कह दिया है कि जो लोग अपनी लाश देश के काम के लिये देने के लिये राजी हों उनके बच्चों को राजनीतिक पीड़ित करार दे दिया जाय।

मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो बडी अनक्लेम्ड हैं उनको क्लेम करने के लिये इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? क्या वे इस बिल से अनक्लेम्ड के दायरे को और बढाना चाहते हैं? क्या वे ऐसा इसलिये कर रहे हैं कि किसी बडी को क्लेम करने के लिये जो लोग आयेंगे भी उनको उसे क्लेम करने नहीं दिया जायगा। इस बिल के संबंध में मेरे मन के अन्दर जो बातें आयीं हैं उनको हाउस के सामने मैंने रख दिया है और इस हाउस के सदस्यों के तीन दिनों की लड़ाई पर हम उम्मीद करते हैं कि वे इस मुर्दे बिल से अपनी जान बचा लेंगे।

श्री पोल दयाल—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पक्ष और विपक्ष में काफी बहस हो चुकी है। हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि आज क्या जरूरत हो गयी है जिससे वे आज हाउस के सामने इस बिल को लाये हैं? क्या ऐसा समय आ गया है कि अगर इस बिल को पास नहीं किया जाय तो स्टेट के दो कालेजों का काम नहीं चलने वाला है? अगर ऐसी परिस्थिति आ गयी है तो उनको पहले ही इसके लिये एक आर्डिनेन्स जारी करना चाहिये था। आज इतने दिनों तक मेडिकल कालेज का काम किस तरह से चलता था और अब क्यों नहीं चल रहा है जिससे इस बिल को लाने की आवश्यकता हुई है। इस बिल के एम्स एंड आबजेक्ट्स में यह कहा गया है कि—

Great difficulty is being experienced in the medical colleges of the State in obtaining a sufficient number of dead bodies for post-mortem purposes in connection with teaching of students.

तो क्या आज यह हालत हो गयी है कि उनको पढ़ाने के लिये मुर्दे नहीं मिल रहे हैं और इससे यह जरूरी है कि इस बिल को तुरत पास कर दिया जाय? क्या इस बिल की इतनी आवश्यकता है कि इस बिल को वे जनमत भी जानने के लिये भेजने के लिये तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि हर एक बिल को हम ३३१ सदस्य ही जो

चाहें सो पास कर लें। क्या उनको इस बिल को बाहर भेजने के लिये हिम्मत नहीं है? इस हाउस के सदस्यों में से ज्यादा से अधिक सदस्यों ने इस बिल की आलोचना की है और इसका विरोध ही किया है। इस हाउस के सेन्स को देखने से यही मालूम होता है कि ट्रेजरी बेंच और अोपोजिशन के मेम्बर, दोनों तरफ से इस बिल का विरोध कर रहे हैं और वे लोग भी यही चाहते हैं कि इस बिल को या तो ड्रोप कर दिया जाय या जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय। लोगों का रेलिजस सेन्टीमेंट भी इसके खिलाफ ही है। हमारे ख्याल से इस हाउस का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो यह लिख कर दे कि मरने के बाद उसकी लाश को मेडिकल कालेज को दे दिया जायगा। बाहर भी हजारों में से शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा। अगर इस काम के लिये लाश मिलती है तो वह भिखमंगों की ही लाश मिलती है और जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं होता है।

हरएक आदमी जीते जी जितना कदर करता है मरने के बाद भी उतना ही करता है। (आवाज बेश) मेरे एक दोस्त ने कहा है मरने पर बेशी कदर करना चाहिये, तो यह ठीक है। हम सब यह जानते हैं कि हमारे मां-बाप जब बूढ़े होते हैं तब जीते जी जितना कदर नहीं किया जाता है उससे ज्यादा कदर मरने पर किया जाता है। अभी परिस्थिति वैसी नहीं है कि मुर्दे के अभाव के कारण मेडिकल कालेज नहीं चल सकता है। ऐसी हालत में आप क्यों नहीं पब्लिक की बात सुनना चाहते हैं। एलेक्शन के दो वर्ष गुजर गए और तीन सिटिंग भी हुई, फिर भी एक भी बिल पब्लिक ओपिनियन के लिये नहीं भेजा गया। क्या यही ३३१ आदमी के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन है?

एक दोस्त ने कहा है कि इंगलैंड में एक समय ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मुर्दे की चोरी होती थी। अगर यह हालत हिन्दुस्तान में अभी नहीं आई है तो बिल को लाने की क्या जरूरत थी। अगर लाते ही हैं तो पब्लिक ओपियन में क्यों नहीं भेजते हैं। एक दोस्त ने कहा कि यहां मुरदा मिलता जा रहा है तो किसी तरीके से तो मिलता ही है फिर बिल को लाने की क्या जरूरत है।

(आवाज) क्या मुरदा से आपको ज्यादा प्रेम हो गया है?

आवाज आई है कि मुरदा से आदमी को प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो है ही इसलिये रेलीजस राइट के मुताबिक उसको दफनाया या जला दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। हाउस के ओपिनियन से मालूम होता है कि यह एक फिट बिल है इसलिये इसको पब्लिक ओपियन के लिये जरूर भेजा जाय।

*श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जो बिल और जो मोशन अभी सदन के सामने है उसको पक्ष, निष्पक्ष और उभयपक्ष तीनों दृष्टिकोण के लोगों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। अभी जो मोशन हमारे सामने है उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल का जो मकसद है उस पर इस सदन के सदस्यों में, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, उनके भाषण और उनके विचार से यह प्रतीत होता है कि इस बिल को ज्वायन्ट सेलेक्ट कमिटी में भेजने की कितनी आवश्यकता है। इसलिये मैं सदन के सामने कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता हूं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्यों को अक्सर अस्पताल में जाने का मौका मिला होगा। अभी भी बहुत असाध्य रोग को लेकर किस तरह लोग ओपरेशन के संबंध में चर्चा करते हैं उससे सभी कोई परिचित हैं। अक्सर असाध्य रोग के रोगी जब औपरेशन के लिये अस्पताल में जाते हैं और जिनका केस बहुत कम्पलीकेटेड होता है फिर भी कई तरह के विचार वहां प्रकट किए जाते हैं। कुछ लोग जो नाजुक होते हैं, जिनको रोगी से बहुत ज्यादा मुहब्बत होता है, अक्सर वे कहा करते हैं कि रोगी के

परिवार के और मेम्बरों को बुलाकर राय ली जाय । और राय लेकर ही ओपरेशन होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोगी से परिचित होते हैं और शुभेच्छु होते हैं या जो डाक्टर होते हैं वे कहते हैं कि यह बहुत असाध्य रोग है इसलिये और डाक्टरों से राय ले ली जाय। कुछ वैसे वैद्य होते हैं जो नेचुरोपैथ पर विश्वास करते हैं वे अस्पताल में जाना पाप समझते हैं। इस सदन के इस बिल पर बोलने वाले सदस्य को अगर तीन हिस्से में मैं बांटू तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग इस बिल को सरकुलेशन में भेजना चाहते हैं उनको मैं नाजुक दिल के लोगों से मुकाबला करता हूं। वे जानते हैं कि रोग है और ओपरेशन की जरूरत है और ओपरेशन के बाद ही अच्छा होगा। उसके बावजूद भी उनका दिल इतना कमजोर है, इसलिये वे कहते हैं कि उसके परिवार के लोगों की राय ले ली जाय, नहीं तो न जाने इस रोगी की क्या गति होगी। ऐसे ही दिलवालें को नाजुक दिल वाले कहते हैं और अक्सर इस तरह की चर्चा औरतें ही किया करती हैं। जो लोग इस बिल को सरकुलेशन में भेजना चाहते हैं उनका भी दिल इसी तरह कमजोर है। इस बिल पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरोपैथी के लोग, जो मेडिकल साइन्स पर विश्वास नहीं करते हैं, वे नहीं समझते हैं कि यह जमाने का तकाजा है कि वे मेडिकल साइन्स पर विश्वास करें और इस जमाने के मुताबिक चलें और पुराने जमाने को छोड़ दें। मैंने जितने भाषण सुने, उसमें से खास कर अकील साहब और सदन के बुजुर्ग माननीय सदस्य पं० विनोदाजी के भाषण को बड़े ध्यान से सुने। इस बिल की त्रुटियों और खामियों को जिस ढंग से एक रोगी को मेडिकल डाक्टर एक्जामिन करता है और जरूरत महसूस करता है कि यह रोग इतना कंपलिकेटेड है और दूसरे डाक्टर से राय लेकर ओपरेशन करना चाहता है उसी तरह से वे दो बुजुर्ग सदस्य इस बिल पर चर्चा किये हैं।

मैं महसूस करता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने है यह रोगग्रस्त है इसीलिये मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि इस पर पूरी तरह से छान बीन करने के लिये ज्वायंट स्लेक्ट कमिटी में भेजा जाय। इस प्रस्ताव के पेश करने में मेरा यह भी विचार था कि जब इस सदन के दो अस्पताल हैं जहां हम ऐसे-ऐसे बिलों का एक मेडिकल डाक्टर की तरह एक्जामिनेशन करते हैं और जब सीनियर डाक्टर भी यहां अवेलेबुल हैं तो क्यों नहीं ऐसे रोगग्रस्त बिल पर उनकी राय भी ले ली जाय।

श्री नन्द किशोर नारायण—हुजूर मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि सीनियर डाक्टर्स अवेलेबुल हैं जिससे उनका मतलब कौंसिल के मेम्बरों से है... ...

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य का मतलब सीनियर डाक्टर से कौंसिल के मेम्बर का है?

श्री राम लखन सिंह यादव—इस ज्वायन्ट सेलेक्ट कमिटी के जो मेम्बर हैं यों तो वे सभी अनुभवी हैं लेकिन इनमें भी अच्छे-अच्छे अनुभवी मिल सकेंगे। कौंसिल के मेम्बर से मेरा मतलब नहीं है।

अगर इस बिल में डीफेक्ट नहीं होता तो मैं यह मोशन क्यों पेश करता इसीलिये मैं डाक्टरों की बात कहता था। कुछ सदस्यों ने धार्मिक भावना को उभाड़ा है और सेन्टिमेंट के ग्राउन्ड पर इसका विरोध किया है। जैसा कि विनोदा बाबू ने सुझाव

पेश किया है मेरा ख्याल है कि इन सभी सुझावों को सामने रख कर इस महत्वपूर्ण बिल की अच्छी तरह छान बीन करें और इसको सुधारें इसलिये इसे ज्वायन्ट सेलेक्ट कमिटी में जाने की जरूरत है। कुछ सथियों ने बिल को सर्कुलेशन में भेजने की जरूरत बतलाई है और कुछ दोस्तों ने कहा है कि इसे ड्राप कर दिया जाय। मैं उनके साथ नहीं हूं। आपने बिल के एम्स् एंड ओब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा तो मालूम हुआ होगा कि यह सही बात है कि मेडिकल कालेज में लाश की जरूरत है। आप को और हमें अक्सर इस सदन में यह सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अमुक रोगी इस ढंग से मर गया, कि डाक्टर ने परीक्षा की लेकिन यह पता नहीं चल सकता कि वह किस रोग से ग्रसित था। मैंने इस संबंध में लोगों से बातें की हैं, मैं भी आपकी तरह कुछ धार्मिक खयाल को लेकर, कुछ भावना को लेकर और कुछ मौजूदा परिस्थिति को सोच समझ कर कुछ गलतफहमी में था इसलिये मैंने कोशिश की कि डाक्टरों का भी विचार इस संबंध में मैं जानूं। कहा गया है इसकी इसलिये जरूरत है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोग हैं उन्हें डाक्टर जान सकें ताकि इसका इलाज कर सके। और मनुष्य के हर भाग को चीड़ फाड़ कर विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करें कि शरीर के किस अंग में किस तरह की बीमारी हुआ करती है। आपको सुनकर ताज्जुब नहीं होगा कि आपके पटना ऐसे बड़े अस्पताल में बहुत से रोगी ऐसे मर जाया करते हैं जिनके रोग का पता ही नहीं चलता। इसके अलावा मेडिकल कालेज में मान लीजिये कि १०० विद्यार्थी हैं जिनमें हर विद्यार्थी के लिये जरूरी है कि साल में १० मुर्दों का पूरी तरह से एक्जामिनेशन करें। अगर एक मुर्दे पर १० विद्यार्थी का हिसाब रखें तौभी १०० विद्यार्थियों के लिये साल में १०० मुर्दे चाहियें। यह दूसरी बात है कि इसकी अहमीयत नहीं समझ कर भावना के ऊपर आप इसको मजाक में उड़ा दें। वह सही है कि जिस ढंग के मुर्दे विद्यार्थियों को उनके कोर्स के मुताबिक चाहिये वैसे नहीं मिलते हैं। वह देखना जरूरी है कि जब भिन्न भिन्न रोगियों के रोगों का वे एक्जामिनेशन करते हैं तो वैसे मुर्दे किस तरह उपलब्ध हों। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि मुर्दों की भरमार है और इस तरह के मुर्दे बहुत मिल जायेंगे इसलिये इस तरह के बिल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है और हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है और पढ़ाना है लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये इसलिये इस तरह का बिल लाया जाय। जहां तक हमने भाषणों को सुना हमने देखा कि बहुत से लोगों ने इसमें सम्मति प्रगट की है आज अंतिम समय में अलबत्ता मैंने कुछ सदस्यों को सुना जिससे मालूम होता है कि शायद अपनी आयु को कम समझ कर वे कुछ डर गये हैं। कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो शायद यह समझ रहे हैं कि जब वे मरेंगे तो उनका क्लेमेंट कोई मिलेगा या नहीं जैसे हमारे बुजुर्ग राश बिहारी लाल। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और तमाम विचारों को सामने रखते इस बिल को सुधारने की जरूरत है। इसलिये मेरा विश्वास है कि इस बिल को ज्वायंट स्लेक्ट कमिटी में भेजना जरूरी है। मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध नहीं होगा और सदन मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेगा।

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, कल से इस मुर्दा बिल पर मुर्दों को लेकर बहस

हो रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहस मुर्दा नहीं रही वह काफी जिन्दा रही है और माननीय सदस्यों ने जो पक्ष में बोलनेवाले हों या विपक्ष में, काफी जोरदार भाषा में अपने-अपने मत को व्यक्त किये हैं। अपने मित्र रामलखन सिंह जी के बोलने के बाद मेरे लिये कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैंने ध्यानपूर्वक जितने भी भाषण हुए हैं, उनको सुना है। मुझे ऐसा लगा, धारणा ऐसी बन्धी कि जहां तक इस विधेयक का सिद्धांत है, उसूल है साधारणतया माननीय सदस्यगण उससे असहमत नहीं हैं। एक दो अपवाद अवश्य हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि किसी भी हालत में किसी

शव की चीड़फाड़ नहीं होनी चाहिये चाहे आप मेडिकल कालेजों को बन्द क्यों न कर दें। किसी ने यह नहीं कहा कि मुर्दों की कोई जरूरत नहीं है अध्यन या अध्यापन में, विज्ञान की वृद्धि में, किसी ने यह नहीं कहा कि अन्य प्रांतों से या अन्य देशों से आप मुर्दे मंगावें। श्री केदारनाथ पांडेयजी को छोड़ कर किसी ने फन्डामेन्टल राइट को हवाला देते हुए यह नहीं कहा कि किसी भी हालत में शव की चीड़फाड़ नहीं होगी। आखिर यह कोई नयी चीज नहीं है जिसको मैं लाना चाहता हूं। अभी भी मेडिकल कालेज अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं, लोग मरते हैं और खासकर ऐसे व्यक्ति जिनका कोई वारिस नहीं जिनका कोई सम्बन्धी नहीं, जिनको कोई धर्मवाले भी नहीं पूछते हैं जिनके बारे में होस्पीटल अथोरिटी जिस तरह चाहे डिसपोज आफ कर दे, ऐसे मुर्दों को हम कालेज में भेजते हैं और अध्यापन में उनका उपयोग होता है। लेकिन जहांतक मुझे मालूम है सम्प्रति कोई भी व्यक्ति अडंगा लगाने के लिये ही सही यह कह सकता है कि किसी मृतक का उपयोग नहीं होने देना। अध्ययन या अध्यापन के काम में भी कानूनी अधिकार अस्पताल के हाथ में नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि जितनी लाशों की हमें जरूरत है उनका करीव-करीब चौथाई अंश ही मिलता है। स्वभावतः लड़कों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं होती है एवं इस कारण से भी हमारे प्रांत के चिकित्सा विज्ञान के पढ़ने वाले छात्र अन्य प्रांतों के छात्रों से अक्सर पीछे पड़ जाते हैं। आखिर कोई नई चीज, किसी नये सिद्धांत का प्रतिपादन करना, उसको कार्यान्वित करना किसी भी कानून का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जब तक किसी बात के सुधार के लिये समाज तैयार नहीं हो, समाज की प्रवृति न हो कैसे कोई चाहेगा उस सिद्धांत को कार्यान्वित करना। समाज जिसके लिये तैयार है, वातावरण जिसके लिये अनुकूल है महज रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट को हटा देना मार्ग को साफ कर देना कानून का उद्देश्य होता है। मेरा नम्र निवेदन है कि मैंने इस विधेयक में, जो आपके सम्मुख है, कोई ऐसी नई चीज नहीं, पेश की है। अनक्लेम्ड बडी, जिसका हवाला मैंने दिया है, जिसका उपयोग अभी भी होता है मैंने उसकी एक परिभाषा दी है। जो काम होता है उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है। यह कोई नई बात नहीं है जिसके लिये समाज तैयार न हो।

मैंने आप से नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि साधारणतः इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बिल से मतभेद नहीं है। इसका तातपर्य यह नहीं, मेरे कहने का यह आशय नहीं कि माननीय सदस्यगण पूरा-पूरा सहमत हैं इस बिल से या इस बिल की विभिन्न धाराओं से। कुछ धाराओं की ओर ध्यान आर्कषित किया गया है सरकार का। कुछ सुझाव दिये गये हैं। जिन सुझावों की तरफ ध्यान आर्कषित किया गया है वे इस तरह के हैं। नियर रिलेटिव (निकट संबंधी) जो परिभाषा इस बिल में है उसको और भी व्यापक बनाया जाये। सेक्शन ५ में जितनी अवधि दी गई है २४ घंटा या ३६ घंटा उसको और भी बढ़ाया जाये। धार्मिक संस्थाएं अगर वे चाहें शवों को दफनाने या धार्मिक संस्कार करने का तो उन्हें इसकी आजादी मिल जाये। छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारी अडंगा नहीं डाले इसकी व्यवस्था हो। मैं आशा करता हूं कि श्री रामलखन जी का प्रस्ताव जो एक ज्यांट सिलेक्ट कमिटी को सुपुर्द करने का है अगर उसको इस सदन ने मान लिया तो सिलेक्ट कमिटी अच्छी तरह से विचार करेगी उन सुझावों पर और इन धाराओं पर जिनकी ओर मेरा ध्यान आर्कषित किया गया है। मैं भी अपनी ओर से अश्वासन देना चाहता हूं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को और उससे भी ऊपर बाहर की जनता को कि पूरी सहानुभूति के साथ गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और जहांतक हो विभिन्न मतों और भावनाओं की रक्षा की चेष्टा की जायेगी।

एक बात और है और वह यह है कि माननीय श्री लक्ष्मी नारायण सिंहजी ने ड्राफ्ट के डिफेक्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने खासकर सेक्शन ५ की उपधारा ४ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि—

"Where a person dies in a prison or in any institution other than an approved institution and his body lies unclaimed the authority incharge of the prison or the institution, shall, with the least practicable delay, report the fact to the authorised officer, etc., etc."

इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शायद जेल के अधिकारियों को यह हक होगा कि अगर वे चाहें तो बिना किसी व्यक्ति या संबंधी को खबर दिये हुए शव को मेडिकल कालेज में भेज देंगे। मैं नम्रतापूर्वक आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं, पेज २ की धारा (जो) की तरफ, जिसमें अनक्लेम्ड बडो की परिभाषा दी गयी है।

Unclaimed body means the body of a deceased person who has no near relative or whose body has not been claimed by any of his near relatives, within the period specified in any provision of this Act or such other period as may be prescribed."

अनक्लेड बडो की जैसी परिभाषा २ (जो) में दी गयी है उसके अनुसार किसी नियर रिलेशन या संबंधी को खबर देना स्वाभाविक और अनिवार्य होगा, यही इस बिल का उद्देश्य है। यह संभव नहीं था कि इस बिल में सारी बातों को खुलासा तफसील के साथ कहा या लिखा जाता। जब रूल, बनेगा, जिसका समावेश सेक्शन १० में किया गया है, उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act."

जो नियम बनावेंगे उनका काम होगा कि सारी बातों को तफसील के साथ उसमें दे दें। हमारे एक मित्र ने कहा कि इससे बहुत धांधली होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर छेड़खानी करेंगे और इसलिये उन्होंने इसका विरोध किया है। मेरा कहना है कि वे छेड़खानी नहीं करेंगे बल्कि जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस डर से कि सरकारी कर्मचारी या अन्य कोई छेड़खानी करेंगे और अव्यवस्था हो जायगी इसलिये हम कानूनों का बनाना छोड़ दें और उस राम राज्य की या क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना में बैठे रहें जब कि किसी कानून की जरूरत नहीं होगी और सभी तरह का काम अनायास हो जायगा। इस तरह की दलीलें मेरी समझ से अच्छी नहीं हैं और मेरा विश्वास है कि इनको सदन नहीं मानेगा। मैं फिर उस आश्वासन को दुहराता हूं जिसको मैंने कल दिया था और आज भी दिया था। मैं मानता हूं कि इस बिल का संबंध जनता से है। मेरा विश्वास है कि सेलेक्ट कमिटी जनता की भावनाओं की कद्र करेगी और सरकार की तरफ से भी मैं आपको बता देता हूं कि जनता की भावनाओं का बराबर आदर किया जायगा।

अन्त में मैं श्री पोल दयाल की आलोचनाओं की ओर आता हूं। उन्होंने कहा था कि मुर्दों की सबसे ज्यादा कद्र होनी चाहिये किसी भी तरह से चीर फाड़ न हो अन्याय न हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर चीरफाड़ न की जाय, पोस्टमार्टम न की जाय तो पैथलोजी और आनटोमि की शिक्षा मेडिकल कालेजों में कैसे दी जायगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में रहूंगा जब कि सरकार की तरफ से रांची में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव हम लायेंगे और श्री पौल दयाल उसका विरोध करेंगे। मैं जरा वह

दिन देखना चाहता हूँ जब श्री पौल दयाल और उनके साथी, जो किसी तरह भी चीर फार से सहमत नहीं है, वे इसका विरोध करेंगे और सरकार तथा कांग्रेस दल यह चाहेंगे कि रांची में भी मेडिकल कालेज खुले जहां आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाय। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि महज विरोध करने के लिये आप विरोध न करें। अगर हमलोग कोई अच्छी चीज करना चाहते हैं तो उसमें आप सहयोग दें। क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। बस इतना ही कहकर मैं आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यगण ज्वाएन्ट सेलेक्ट कमिटी का जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकार कर लेंगे। आखिर इस दलील में क्या कोई ताकत है कि हम जनता की ओर से न बोलें। पौल दयाल जी को अपने प्रतिनिधित्व पर अविश्वास हो सकता है, उनकी बात का एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितने सदस्य हैं उनको अपने में विश्वास है जनता में विश्वास है और जनता की तरफ से वे निर्णय कर सकते हैं और किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकते हैं।

अध्यक्ष—मूल प्रश्न यह था कि दी विहार डिसपोजल ऑफ डेड परसन्स अनक्लेम्ड बडीज बिल, १९५४, पर विचार हो उसके बाद ये संशोधन पेश हुए हैं—

(१) उपरोक्त विधेयक को तिथि १५ मार्च, १९५४ तक जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाय।

(२) उपरांत विधेयक को बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय :—

अब प्रश्न यह है कि—

बिहार डिस्पोजल आफ डेड परसन्स अनक्लेम्ड बाडीज बिल, १९५४ तिथि १५ मार्च, १९५४ तक जनमत जानने के लिये प्रचारित हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि—

"बिहार डिस्पोजल आफ डेड पर्सन्स अनक्लेम्ड वडीज विल, १९५४ को बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—इस प्रस्ताव को परिषद् की सम्मति के लिये भेजा जायगा।

कोशी योजना के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर पर आधे घंटे के लिये वाद-विवाद।

HALF AN HOUR DEBATE ON A QUESTION ON THE KOSI PROJECT.

अध्यक्ष—एक विशेष प्रश्न पर वाद-विवाद रखा गया है, अभी मैं उसी विषय को लेता हूं। वाद-विवाद के जो नियम हैं, वे आपको मालूम ही होंगे। प्रस्तावक १० मिनट बोलेंगे और उसके बाद दूसरे सदस्य ५-५ मिनट बोलेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री का उत्तर होगा जो १० मिनट का होगा। अब आप वाद-विवाद प्रारम्भ करें।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के जरिये मैं सरकार से कोशी योजना के सम्बन्ध में कई बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं कबल इसके कि इन बातों को रखूं, मैं माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वे अपने और अपनी